रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972/पौष 11, 1893
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

25/2/72

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1972

G.S.R. 5(E)/Sugar Export.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby fixes 97,000 tonnes (Nintyseven thousand tonnes) of sugar as the quantity which may be exported during the period commencing on the date of publication of this notification in the official Gazette and ending with the 31st day of December, 1972

[No. 10-1/72-S-EXP.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 5 अ/शक्कर निर्यात.—शक्कर निर्यात अभिवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केन्द्रीय सरकार एतत्द्वारा 97,000 मीटरी टन (सत्तानवे हजार मीटरी टन) शर्करा को उस मात्रा के रूप में नियत करती है जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को आरम्भ होने वाली और 31-12-72 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान निर्यात की जा सकती है।

[सं० एफ० 10-1/72-एस०-ई एक्स पी]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972